कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

धारा 6ए प्रकरण संख्या – 195/2025 (GCMS 2025/297)

सरकार जरिये सुदेश कुमार, उर्वरक निरीक्षक एवं उप परियोजना निदेशक (आत्मा), श्रीगंगानगर

बनाम

1. मैसर्स सॉयल टैंक फर्टीलाईजर एंड कैमिकल, जे–61 इंडस्ट्रीयल एरिया, सूरतगढ़
2. श्री इस्पाक अहमद पुत्र श्री खुशी मोहम्मद, जाति मुस्लमान पता वार्ड नं. 29, नया गणेश मंदिर मार्ग, सूरतगढ

आदेश

04.08.2025

पत्रावली पेश हुई। विभागीय प्रतिनिधि श्री सुदेश कुमार, उप परियोजना निदेशक (आत्मा) एवं उर्वरक निरीक्षक एवं अप्रार्थी इस्पाक अहमद उपस्थित हुए। उभयपक्ष को दिनांक 30.07.2025 को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :

दिनांक 31.05.2025 को उर्वरक व्यवसाय संबधित प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने हेतु विभागीय प्रतिनिधि श्री सुदेश कुमार मय सहयोगी के मैसर्स सॉयल टैंक फर्टीलाईजर एंड कैमिकल, जे–61 इंडस्ट्रीयल एरिया, सूरतगढ़ पहुंचे, उस स्थान पर एसिड़ बैंटरी का निर्माण कार्य चल रहा था तथा पूछने पर बताया कि यह कम्पनी अन्यत्र स्थानान्तरित हो चुकी है। काफी खेजबीन के पश्चात मैसर्स सॉयल टैक फर्टीलाईजर एंड कैमिकल के उर्वरक उत्पादों के स्थान जी 106–107, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, सूरतगढ़ पर पहुवें जाहं अवैध निर्माण इकाई द्वारा विभिन्न उर्वरकों उत्पाद का अवैध रूप से भण्डारण व निर्माण किया जा रहा था जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7 व 8 का उल्लंघन है। मौके पर स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं करवाया गया जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 4(a)&(b) का उल्लंघन है। उवर्रक विश्लेषण रिपोर्ट के [illegible] फर्म से लिये गये नमूने अमानक घोषित किये गये है। [illegible] विभागीय प्रतिनिधि द्वारा सीजशुदा 52.240 टन (इ[illegible] उपस्थित उर्वरक इसके साथ क्षतिग्रस्त बैंक में उपस्थित रॉ–मैटेरियल एवं इसके साथ लैब स[illegible] जिसमें मिक्सर ग्रेण्डर–2, स्टैचिंग मशीन–2, लेबल मशीन–1, एएएस, पीएच मीटर, डायोमीटर व अन्य संलग्न लैब इक्युपमैंट को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:27:53 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

धारा 6ए प्रकरण संख्या – 195 / 2025
(GCMS 2025/297)

विभागीय प्रतिनिधि **श्री सुदेश कुमार, उप** परियोजना निदेशक **एवं उर्वरक निरीक्षक ने कथन किया कि** वे दिनांक 31.05.2025 मैसर्स सॉयल टैक फर्टीलाईजर एंड कैमिकल, जे–61 इंडस्ट्रीयल एरिया, सूरतगढ़ के उर्वरक निर्माण इकाई परिसर पर निरीक्षण करने व उर्वरक नमूने लेने के उद्देश्य से पंहुचें। वक्त निरीक्षण उनके साथ डॉ. विनोद सिंह गौतम, उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक (आत्मा), श्रीगंगानगर, श्री बजरंग लाल, सहायक कृषि अधिकारी, मुख्यालय बख्तावरपुरा, सूरतगढ़ एवं श्री महेन्द्र, सहायक कृषि अधिकारी, मुख्यालय सूरतगढ मौजूद थे।

उनका आगे यह भी कथन है कि वे उर्वरक नमूना लेने व निरीक्षण के उद्देश्य से मैसर्स सॉयल टैक फर्टीलाईजर एंड कैमिकल, जे–61 इंडस्ट्रीयल एरिया, सूरतगढ़ समय प्रातः 11:50 बजे पंहुचे। मौके पर उर्वरक निर्माता कम्पनी मैसर्स सॉयल टैक फर्टीलाईजर एंड कैमिकल, जे–61 इंडस्ट्रीयल एरिया, सूरतगढ़ पर उर्वरक व उर्वरक निर्माण से संबंधित कोई भी पदार्थ नहीं पाया गया उस स्थान पर एसिड बैटरी का निर्माण कार्य चल रहा था तथा पूछने पर बताया गया कि यह कम्पनी यहां से अन्यत्र स्थानान्तरित हो चुकी है।

उनका आगे यह भी कथन है कि काफी देर खोजबीन करने पर समय दोपहर 12:30 पीएम मैसर्स सॉयल टैक फर्टीलाईजर एंड कैमिकल के उर्वरक उत्पादों का स्थान जी–106–107, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, सूरतगढ़ होना पाया गया। उक्त पते पर पंहुचने पर गेट पर ताला लगा हुआ था। मौके पर कम्पनी के प्रतिनिधि को दूरभाष पर सूचना देकर कम्पनी के पते पर बुलाया गया। कम्पनी प्रतिनिधि श्री अनिल शर्मा 3:00 पीएम बजे पंहुंचे तथा मैसर्स सॉयल टैक फर्टीलाईजर एंड कैमिकल का अनुज्ञा–पत्र संख्या SPF/2022-23/2188 उपलब्ध करवाया। अनुज्ञा[illegible] कम्पनी का पता जे–61 इंडस्ट्रीय एरिया, सूरतगढ़ 33580[illegible], श्रीगंगानगर, [illegible]न है, जबकि उक्त पते पर कोई भी उर्वरक का[illegible]किया जा रहा है, इसके स्थान पर बैटरी निर्माण किया जा रहा था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:27:53 IST
Reason: SelfAttested

Manju
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि मैसर्स सॉयल टैक फर्टीलाईजर एंड कैमिकल कम्पनी द्वारा स्थान जी–106–107, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, सूरतगढ़ में अवैध निर्माण इकाई द्वारा विभिन्न उर्वरकों उत्पाद का अवैध रूप से भण्डारण व निर्माण किया जा रहा था, जो कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7 व 8 तथा अनुज्ञा–पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

उनका आगे यह भी कथन है कि निरीक्षण में यह पाया गया कि उर्वरक निर्माण परिसर पर **उर्वरक निर्माण इकाई का बोर्ड नहीं लगा हुआ है, इसके अतिरिक्त वैध अनुज्ञा–पत्र नहीं लिया गया है, गोदाम अनुज्ञा–पत्र में सम्मिलित नहीं है, स्टॉक रजिस्टर नहीं पाया गया, उर्वरकों के गट्टे व धागे खुले हुए मिले,** उर्वरक निर्माण मेसर्स सॉयल टैक फर्टीलाईजर एंड कैमिकल, जे–61 इंडस्ट्रीयल एरिया, सूरतगढ़ पर विभिन्न उर्वरक उत्पादों की पैकेजिंग सामग्री पाई गई तथा उर्वरक निर्माण का रॉ मैटेरियल (प्रोम, पोटाश, माईकोराजा, एनपीके कन्सोटिया, सल्फर 90 प्रतिशत मिक्चर माइक्रोन्युट्रीएंट बोरोन इत्यादि) पाया गया, जिससे यह प्रतीत होता है कि निर्माण इकाई स्थान जी–106–107, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, सूरतगढ़ पर विभिन्न उर्वरकों उत्पाद (संलग्न) का अवैध रूप से भण्डारण व निर्माण किया जा रहा था।

उनका आगे यह भी कथन है कि जी–106–107, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, सूरतगढ़ पर उर्वरक निर्माण का अनुज्ञा–पत्र जारी नहीं करवाया गया है। अतः मौके पर सम्पूर्ण गौदाम की जांच में यह पाया गया कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 8 का उल्लंघन है व इसके साथ अनाधिकृत रूप से उर्वरक का भण्डारण किया गया है, जो कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7 का उल्लंघन है। मौके पर स्टॉक रजिस्टर मांगने पर स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं करवाया गया, जो कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 4(a)&(b) का उल्लंघन है। मौके पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की विभिन्न धाराओं का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना पाया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि उनके द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28(1)D की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अवैध रूप से संचालित उर्वरक निर्माण इकाई में भण्डारित उर्वरकों का जब्त (सीज) की

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:27:53 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

कार्यवाही की गई तथा उक्त परिसर में स्थित गोदाम परिसर के अंदर व बाहर ताले लगाकर कपड़े की थैली पर मेरी ब्रास सील से चपडी लगाकर गवाहों की उपस्थिति में सील किया गया। इसके साथ ही फर्द जाप्ता तलाशी, मौका नक्शा, शपथ–पत्र, सुपुर्दगी–पत्र तैयार करते हुए मध्य रात्रि होने के कारण व उर्वरकों की मात्रा अधिक होने पर निर्माण इकाई मैसर्स सॉयल टेक फर्टीलाईजर एंड कैमिकल स्थान जी–106–107, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, सूरतगढ़ पर श्री इस्पाक अहमद पुत्र श्री खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान पता वार्ड नं. 29 नया गणेश मंदिर मार्ग, सूरतगढ़ के सपुर्दगी पत्र पर हस्ताक्षर लेते हुए सुपुर्द किया तथा साथ में यह वचन लिया कि इसे अन्यत्र स्थानान्तरित, खुर्द–बुर्द व विक्रय नहीं करूंगा अथवा न्यायालय के आदेश होने पर उपरोक्त उर्वरकों को यथास्थिति प्रस्तुत करूंगा।

उनका आगे यह भी कथन है कि जी–106–107, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, सूरतगढ़ पर विभिन्न अवैध रूप से भण्डारित उर्वरक उत्पादों में से अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28 की पालनार्थ जब्ती के दौरान 02 उर्वरक नमूने भी आहरित किए गए, जिनका विवरण क्रमशः सल्फर 90 प्रतिशत, जिंक सल्फेट मोना हाईड्रेट 33 प्रतिशत है। इन उर्वरक नमूनों को विश्लेषण हेतु राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला, अजमेर इस कार्यालय के पत्रांक 274 दिनांक 02.06.2025 भिजवाये गये, जिनको प्रयोगशाला के पत्रांक 794–796 दिनांक 19.06.2025 (सल्फर 90 प्रतिशत) एवं पत्रांक 797–799 दिनांक 19.06.2025 (जिंक सल्फेट मोना हाईड्रेट 33 प्रतिशत) द्वारा अमानक घोषित किए गए।

उनका आगे यह भी कथन है कि मौके पर गुणवत्ताहीन उर्वरकों का निर्माण अवैध रूप से किया जा रहा था। जब्ती की कार्यवाही के बाद थानाधिकारी, पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर श्रीगंगानगर (राज.) स्थान जी–106–107, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, सूरतगढ़ पर अवैध रूप से संचालित उर्वरकों की निर्माण इकाई एवं भण्डारण [illegible] 02.06.2025 को विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत FIR दर्ज करवाई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:27:53 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि जब्त (सीज) की गई सामग्री लगभग 52.240 टन (इसके अलावा पूरे गोदाम में उपस्थित उर्वरक इसके

Manju
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

साथ क्षतिग्रस्त बैग में उपस्थित रॉ मैटेरियल) एवं इसके साथ लैब सामग्री, जिसमें मिक्सर ग्रेण्डर–2 स्टैचिंग मशीन–2, लेबल मशीन –1, एएएस, पीएच मीटर, डायोमीटर व अन्य संलग्न लैब इक्युपमेंट हैं। उर्वरकों में सोडियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, एनपीके कन्सोर्टिया, बोरोन, प्रोम, सोली हयुमिक, ब्लेक गोल्ड, सल्फर, माईकोराजा, मेग्नीशियम सल्फेट इत्यादि को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत राजसात करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत अप्रार्थी इस्पाक अहमद ने कथन किया कि मैसर्स सॉयल टैंक फर्टीलाईजर, कृषि विभाग से उर्वरक की अनुज्ञाधारी एजेंसी है। फर्म का अनुज्ञापत्र SPF/2022-23/2188 दिनांक 25.08.2022 है जो कि 24.08.2027 तक नवीनीकृत है।

उनका आगे यह भी कथन है कि कृषि विभाग द्वारा फर्म की जो भी कमियां बताई गई, उन्हें पूर्ण कर लिया जायेगा। विभाग द्वारा उर्वरक नमूनों लिये गये थे और उनके अमानक घोषित किए गए है, उसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। उनके द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के किसी भी प्रावधान की जानबूझकर कोई उल्लंधना नहीं की है और न ही उनकी किसी प्रकार से कोई बदनियती है। इसलिए विभागीय अधिकारियो द्वारा उससे जब्त की सामग्री लौटाने की प्रार्थना की है।

मैनें, उभयपक्ष के तर्कों पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अप्रार्थीगण फर्म मैसर्स सॉयल टैक फर्टीलाईजर श्री इस्पाक अहमद का अनुज्ञा पत्र सख्या SPF/2022-23/2188 दिनांक 25.08.2022 को जारी किया गया है तथा वैद्यता दिनांक 24.08.2027 तक है। उक्त फर्म का पता मैसर्स सॉयल टैक फर्टीलाईजर एंड कैमिकल, जे–61 इंडस्ट्रीयल एरिया, सूरतगढ़ है जहां एसिड बैटरी का कार्य चल रहा था और फर्म मैसर्स सॉयल टैंक फर्टीलाईजर एंड कैमिकल जी–106–107 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, सूरतगढ़ पर अवैध रूप से भण्डारण व निर्मा[illegible] रहा था जो कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 [illegible] पत्र की शर्तों की उल्लंघना है। फर्म द्वारा [illegible] नहीं करवाया गया है जो कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा [illegible]&(b) की उल्लंघना है। विभागीय अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से भण्डारित उर्वरक के नमूने लिये गये, जो विश्लेषण में अमानक घोषित किए गए है। इस प्रकार फर्म द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की उल्लंघना करने के कारण जब्त की गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:27:53 IST
Reason: SelfAttested

Manju
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

धारा 6ए प्रकरण संख्या – 195/2025
(GCMS 2025/297)

सामग्री लगभग 52.240 टन (इसके अलवा पूरे गोदाम में उपस्थित उर्वरक इसके साथ क्षतिग्रस्त बैग में उपस्थित रॉ–मैटेरियल) एवं इसके साथ लैब सामग्री, जिसमें मिक्सर ग्रेण्डर–2, स्टैचिंग मशीन–2, लेबल मशीन–1, एएएस, पीएच मीटर, डायोमीटर व अन्य संलग्न लैब इक्युपमैंट है। उर्वरकों में सोडियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, एनपीके कन्सोर्टिया, बोरोन, प्रोम, सोली ह्युमिक, ब्लेक गोल्ड, सल्फर, माईकोराज, मेग्नीशियम सल्फेट इत्यादि को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6एके तहत राजसात करने की प्रार्थना की गयी है।

इस तथ्य को सिद्ध करने का भार आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के तहत अप्रार्थीगण पर है कि उनके द्वारा उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के प्रावधानों की कोई अवहेलना नही की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:

> "जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 जारी किये गये है, **इसलिए उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 की अवहेलना** पर इस न्यायालय द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत जब्तुशदा उर्वरक के सम्बन्ध में राजसात की कार्यवाही की जा सकती है।

अप्रार्थी फर्म मैसर्स सॉयल टैंक फर्टीलाइजर प्रो. इस्पाक अहमद पर आरोप है कि मौके पर स्टॉक रजिस्टर मांगने पर स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं करवाया गया था, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 4(ए)व(बी) की उल्लंघना है। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 4(ए) व (बी) निम्न प्रकार से अवलोकनीय है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:27:53 IST
Reason: SelfAttested

Manju
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

4. Displya of stock position and price list of fertilisers :- Every dealer, who makes or offers to make a retail sale of any fertilisers, shall prominently display in his place of business :
(a) the quantities of opening stock of different fertilisers held by him on each day:
(b) a list of price or rates of such fertilisers fixed under Cluause (3) and for the time being in force.

अप्रार्थी ने उर्वरक का स्टॉक खुलने व बंद होने एवं उर्वरक की रेट लिस्ट सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जा रहा हो। अप्रार्थी ने मौके पर अथवा बहस के समय भी ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जो यह साबित करता है कि अप्रार्थी द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 धारा **4(a)&(b) की नही अवेहलना की है।** इसलिए अप्रार्थी का उक्त कृत्य उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा **4(a)&(b)** की स्पष्ट उल्लंघना होने के कारण उससे जब्तशुदा सामग्री राजसात करने योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के साथ अप्रार्थी का अनुज्ञा पत्र संख्या SPF/2022-23/188 दिनांक 25.08.2022 की प्रति संलग्न है, जिसमें अप्रार्थी का अनुज्ञा पत्र 24.08.2027 तक वैध है तथा उक्त फर्म का पता जे–61, इण्डस्ट्रीयल एरिया, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर राजस्थान–335804 अंकित है जबकि फर्म द्वारा अपना कारोबार जी–106–107 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, सूरतगढ़ पर अवैध रूप से भण्डारित एवं पैकेजिंग किया जा रहा था, जो कि उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 की धारा 7 व 8 की स्पष्ट उल्लंघना है।

उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 की धारा 7 व 8 निम्न प्रकार से अवलोकनीय है:

7. Registration of Industrial dealers and authorization of other dealers : No person shall sell, offer for sale or carry on the business of selling fertilizer as a manufacturer, wholesale dealer or retail dealer except under and in accordance with clause8:

Provided that a State Government may, if it considers it necessary or expedient, by notification in the Official Gazette, exempt from the provisions of this clause any person selling fertilizer to farmers in such areas and subject to such conditions as may be specified in that notification.

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:27:53 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

8. Application for intimation or registration 1. Every person intending to sell or offer for sale or carrying on the business of selling of fertilizer as Industrial Dealer shall obtain a certificate of registration from the controller by making an application in Form A together with the fee prescribed under clause 36 and a Certificate of source in Form O.

2. Every person including a manufacturer, an importer, a pool handling agency, **wholesaler and a retail dealer intending to sell or offer for sale or carrying on the business of selling of fertilizer shall make a Memorandum of Intimation to the Notified Authority,** in Form A1 duly filled in, in duplicate, together with the fee prescribed under clause 36 and certificate of source in Form O.

3. **On receipt of** a Memorandum of Intimation, complete in all respects, the Notified Authority shall issue an acknowledgement of receipt in Form A2 and it shall be deemed to be an authorization letter granted and the concerned person as authorised dealer for the purposes of this Order.

Provided that a certificate of registration granted before the commencement of the Fertiliser (Control) Amendment Order, 2003, shall be deemed to be an authorization letter granted under the provisions of this Order:

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार अप्रार्थी मैसर्स सॉयल टैक फर्टीलाईजर–श्री इस्पाक अहमद के पास अनुज्ञा पत्र संख्या SPF/2022-23/188 दिनांक 25.08.2022 व्यवसाय के लिए कृषि विभाग से जारी किया गया है, जिसमें कार्यस्थल का पता जे–61, इण्डस्ट्रीयल एरिया, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर राजस्थान–335804 दर्ज है। **जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी केवल उक्त अनुज्ञापत्र में अंकित स्थल** जे–61, [illegible] श्रीगंगानगर राजस्थान–335804 **में कार्य करने के लिए अधि**[illegible] **है** [illegible] जी–106–107 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, सूरत[illegible] में कार्य [illegible]

विभागीय प्रतिनिधि ने अपने प्रकरण के साथ [illegible] का पर्चा, फर्द जाब्त तलाशी, मौका नक्शा, शपथ पत्र एवं अप्रार्थी इस्पाक अहमद के ब्यान की प्रति पेश की है, जिसमें अप्रार्थी इस्पाक अहमद ने निम्न प्रकार से लिखा है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:27:53 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

धारा 6ए प्रकरण संख्या – 195 / 2025
(GCMS 2025/297)

> मेरा नाम इस्पाक अहमद पुत्र खुशी मोहम्मद पता वार्ड नं. 29 नया गणेश मंदिर के पास, सूरतगढ़। दिनांक 31.05.2025 कृषि विभाग द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। मेरी फर्म का नाम सॉयल टैक फर्टीलाईजर एण्ड कैमिकल्स, जी–106–107 जिस पर अवैध रूप से भण्डारित फर्टीलाईजर मिला। जो फर्टीलाईजर कन्ट्रोल ऑर्डर 1985 जिसमें उल्लघंन पाया गया। फर्टीलाईजर मेरा खुद का है। जिसकों मुझे सुपुर्द किया गया। मेरे द्वारा फर्टीलाईजर का स्टॉक जो लिख कर दिया गया है, वो मेरे स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं करवाने पर जो लिख कर दिया है, वो मान्य है।

अप्रार्थी की मैसर्स सॉयल टैक फर्टीलाईजर एंड कैमिकल से जब्ती के दौरान नमूने आहरित किये गए तथा उर्वरक नमूनों को विश्लेषण हेतु राजकीय उर्वरक प्रयोगशाला, अजमेर में भिजवाया गया है।

राजकीय उर्वरक प्रयोगशाला, अजमेर की रिपोर्ट क्रमंक 794–796 दिनांक 19.06.2025 एवं 797–799 दिनांक 19.06.2025 के अनुसार उर्वरक नमूने अमानक घोषत किये गये है। **राजकीय उर्वरक प्रयोगशाला, अजमेर की रिपोर्ट** क्रमंक 794–796 दिनांक 19.06.2025 एवं 797–799 दिनांक 19.06.2025 निम्नानुसार अवलोकनीय है:

<u>रिपोर्ट क्रमांक 794–796 दिनांक 19.06.2025</u>

> **Remarks : The Sample in not according to specification and fails in, Total elemental sulphar (as S) percent by weight.**

<u>रिपोर्ट क्रमांक 797–799 दिनांक 19.06.2025</u>

> **Remarks : The Sample in not according to specification and fails in, Zinc (As Zn) per cent by weight Sulphate Sulphur (as S) per cent by weight, matter insoluble in water per cent by weight.**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:27:53 IST
Reason: SelfAttested

राजकीय उर्वरक प्रयोगशाला, अजमेर की उक्त रिपोर्ट के आधार पर मैसर्स **सॉयल टैक फर्टीलाईजर एंड कैमिकल से जब्ती के दौरान आहरित किये गए नमूने अमानक पाये गये है।** इस प्रकार मैसर्स सॉयल टैक फर्टीलाईजर एंड कैमिकल द्वारा गुणवत्ताहीन उर्वरकों का निर्माण अवैध रूप से किया जा रहा था।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा स्टॉक खुलने व बंद होने एवं उर्वरक **की रेट लिस्ट सूचना पट्ट पर प्रदर्शित नहीं किया जा रहा था, जो उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 की धारा 4(a)&(b) का स्पष्ट उल्लंघन है।** मैसर्स सॉयल टैक फर्टीलाईजर–श्री इस्पाक अहमद के पास **अनुज्ञा पत्र संख्या SPF/2022-23/188 दिनांक 25.08.2022 व्यवसाय के लिए कृषि विभाग द्वारा जारी है जिसमें जे–61, इण्डस्ट्रीयल एरिया, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर राजस्थान– 335804 कार्यस्थल दर्ज है जबकि अप्रार्थी द्वारा जी–106–107 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, सूरतगढ़ में अवैध रूप से अमानक उर्वरकों का निर्माण एवं भण्डारण किया जा रहा था** जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7 व 8 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसलिए उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के उक्त वर्णित प्रावधानों की उल्लंघना के कारण धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत उक्त जब्तशुदा उर्वरक एवं अन्य सामग्री राजसात करने योग्य ठहरती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर दिनांक 31.05.2025 को मैसर्स सॉयल टैक फर्टीलाईजर, सूरतगढ़ के अनाधिकृत स्थल से अप्रार्थी से जब्त की गयी सामग्री लगभग 52.240 टन (इसके अलावा पूरे गोदाम में उपस्थित उर्वरक इसके साथ क्षतिग्रस्त बैग में उपस्थित रॉ–मैटेरियल) एवं इसके साथ लैब सामग्री, जिसमें मिक्सर ग्रेण्डर–2, स्टैचिंग मशीन–2, लेबल मशीन–1, एएएस, पीएच मीटर, डायोमीटर व अन्य संलग्न लैब इक्युपमेंट है। उर्वरकों में सोडियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, एनपीके कन्सोर्टिया, बोरोन, प्रोम, सोली हयुमिक, ब्लेक गोल्ड, सल्फर, माईकोराजा, मेग्नीशियम सल्फेट आदि को उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के प्राधानों की उल्लंघना के कारण, 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत राजसात किया जाता है। पूर्व में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 07.07.2025 के तहत उक्त जब्तशुदा उर्वरकों के उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के प्रावधानों के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिये गये थे, इसलिए अब **उक्त उर्वरकों एवं अन्य समस्त सामग्री विक्रय की समस्त राशि स्थाई रूप से राज्यहित में राजकोष में जमा करवाने का आदेश दिया जाता है।** आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, निदेशक (आत्मा) एवं बीज/उर्वरक/कीटनाशी निरीक्षक, सहायक निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक (आत्मा) श्रीगंगानगर को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 04.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:27:53 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर